मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 29, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

खण्डवा में हुए प्रदर्शन पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने की मांग की जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने उल्लेख किया कि देश में आज मूलभूत समस्या चल रही है. खण्डवा में कल हुई घटना के संबंध में हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है जिस पर चर्चा कराई जाना आवश्यक है. डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने आसंदी के माध्यम से माननीय सदस्य को अपनी बात शून्यकाल में उठाने का अनुरोध किया. आसंदी ने माननीय सदस्य को अवगत कराया कि आपने अपनी बात कह ली है, अब प्रश्नकाल चलने दें.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5 एवं 6) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. तारांकित प्रश्न संख्या 2 (सीधी व सिंगरौली जिलों में सम्पूर्ण विद्युतीकरण) पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को आवश्यक निर्देश दिए गए. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 179 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 202 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से निम्नानुसार माननीय सदस्यों की 47 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

(1) श्री सुभाष रामचरित्र, सदस्य की सिंगरौली जिले के काचन जलाशय का जे.पी. टोल माईन्स मझौली के कचरे एवं ओबी से पानी दूषित होने,

(2) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, सदस्य की प्रदेश में रोजगार के अभाव में आदिवासी एवं वनवासियों का बड़ी संख्या में पलायन किये जाने,

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की ओल्ड एन.एच. 26 मार्ग पर विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य धीमी गति से होने के कारण सड़क निर्माण का कार्य नहीं होने,

(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के संविदा पदों की भर्ती में प्राथमिकता की शर्त के अभाव में युवा प्रतिभागियों को अवसर न मिलने,

(5) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य की नगर पंचायत लटेरी, जिला विदिशा अंतर्गत सड़कों की मरम्मत कराये जाने,

(6) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत पात्र नव दंपत्तियों को प्रोत्साहन राशि रू. 51,000/- का लाभ न मिलने,

(7) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिला एवं आसपास के जिलों में छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में आवागमन साधन के अभाव के कारण अन्य जगह परीक्षा केन्द्र बनाये जाने,

(8) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की संभागीय मुख्यालय सागर स्थित औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां में स्वीकृत जल प्रदाय योजना अंतर्गत नल कनेक्शन न दिये जाने,

(9) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की रीवा जिले की सेमरिया वि.स. क्षेत्र में शासकीय वन भूमि पर निवासरत् आदिवासियों से उन्हें आवंटित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कराये जाने,

(10) श्री संजय यादव, सदस्य की बेलखेड़ा शहपुरा व चरगवां थानों का मुख्यालय पाटन में होने के कारण अपराधों पर नियंत्रण नहीं होने,

(11) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले के नगझिरी जलाशय निर्माण में कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वितरण में लापरवाही करने,

(12) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य की गोविन्दपुरा वि.स. क्षेत्र के दिव्यांगजन के कल्याण हेतु 50 बिस्तरों वाले होस्टल विभाग की लापरवाही का शिकार होने,

(13) श्रीमती लीना जैन, सदस्य की म.प्र. राज्य में राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों की जमीनों के नामांतरण आदि कार्य में लापरवाही बरती जाने,

(14) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य की सीधी जिले की ग्राम पंचायत क्षितरी में स्थित संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक एवं पाठ्यक्रम सुविधा उपलब्ध कराई जाने,

(15) कुँवर विक्रम सिंह, सदस्य की शा. महाविद्यालय रामनगर एवं लवकुश नगर में स्नातकोत्तर (पी.जी.) की कक्षाएं संचालित कराये जाने,

(16) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य की ग्रामीण क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधियों के साथ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं हर्बल पार्क बनाये जाने,

(17) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की छतरपुर शहर में विद्युत विभाग अंतर्गत नगर संभाग की स्थापना किए जाने,

(18) श्री मुन्नालाल गोयल, सदस्य की गरीब भूमिहीन को पट्टा देने की सर्वेक्षण सूची निरस्त कर नवीन सर्वेक्षण कराये जाने,

(19) श्री प्रणय प्रभात पाण्डे, सदस्य की बहोरीबंद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में भूजल स्तर नीचे जाने से जल संकट होने,

(20) श्री विक्रम सिंह, सदस्य की प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सतना जिले के वि.स. क्षेत्र रामपुरा बघेलान के विभिन्न ग्रामों के पहुंच मार्गों की शीघ्र बनाये जाने,

(21) श्री अजय विश्नोई, सदस्य की म.प्र. पावर मैनेजमेंट कम्पनी द्वारा निजी विद्युत गृहों से विद्युत खरीदी कर प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुंचाये जाने,

(22) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में किसानों का गन्ना समर्थन मूल्य से कम रेट पर खरीदे जाने,

(23) श्री कुँवर जी कोठार, सदस्य की जिला राजगढ़ की कुण्डालिया बृहद परियोजना अंतर्गत सारंगपुर के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में हैण्डपम्प का उत्खनन न किये जाने,

(24) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की मेडीकल लाइसेंस के तर्ज पर बीज खाद्य व्यापारियों के लिए भी अधिकार पत्र (पी.सी.) की अनिवार्यता समाप्त करने,

(25) श्री सोहन लाल बाल्मीक, सदस्य की परासिया शिवपुरी मार्ग पर परासिया मोक्षधाम के समीप रेल्वे गेट पी.सी.-2 एवं पी.सी.-3 को पूर्व की तरह प्रारंभ रखे जाने,

(26) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा नगर की म.प्र. विद्युत मंडल कंपनी के कर्मचारी द्वारा लाखों का गबन किये जाने,

(27) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य की सतना जिले के रैगांव क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर न लगाये जाने,

(28) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य की मऊगंज वि.स. क्षेत्र में स्थित बेलहाबांध की मुख्य एवं माईनर नहर को फिलिंग और लाईनिंग कर ठीक कराये जाने,

(29) श्री इंदर सिंह परमार, सदस्य की जिला शाजापुर अंतर्गत तहसील गुलाना, पोलायकला आदि ग्रामों के मंदिरों में पुजारियों को मानदेय न मिलने,

(30) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की जिला रीवा के विभिन्न ग्रामों में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर, 2019 को भारी आंधी के कारण खड़ी फसल चौपट होने,

(31) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की मनगवां विधान सभा क्षेत्र नईगढ़ी, विकास खण्ड नई गढ़ी, गढ़ बंधवा पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(32) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की बाणसागर परियोजना अंतर्गत वि.स. क्षेत्र के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिलने,

(33) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की दमोह गैसावाद मार्ग का निर्माण किये जाने,

(34) श्रीमती मनीषा सिंह, सदस्य की जैतपुर विधान सभा क्षेत्र के बुढार से खरैहा सड़क मार्ग का निर्माण न किये जाने,

(35) कुँवर विजय शाह, सदस्य की खण्डवा में पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखने के बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने,

(36) श्री आरिफ मसूद, सदस्य की भोपाल के नरेला वि.स. क्षेत्र वार्ड-37 बुजुर्ग महिला एवं पुरूषों के लिए चौपाल का निर्माण कराये जाने,

(37) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की जिला उज्जैन के अंतर्गत काली सिंध नदी के निर्माणाधीन डेम से डूब में आने वाली भूमि का मुआवजा किसानों को न मिलने,

(38) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किये जाने,

(39) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले में आदिवासी उप योजना अंतर्गत आदिवासी समाज के लघु कृषकों को कृषि योग्य उपकरण की सुविधायें न मिलने,

(40) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य की पवई क्षेत्रों के जलाशयों की हालत जर्जर होने,

(41) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की जबलपुर शहर में पेयजल आपूर्ति की पाईप लाईन फूटने,

(42) श्री तरबर सिंह लोधी, सदस्य की बण्डा विधान सभा क्षेत्र शाहगढ़ में पेयजल समस्या होने,

(43) डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य की राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बंद किये जाने,

(44) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के मंझगाय बांध भरने हेतु बरियारपुर एप्रोच नहर का निर्माण न किये जाने,

(45) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य कीनर्मदा की पवित्र नगरी अमरकंटक को म.प्र. के वार्षिक केलेन्डर में शामिल किये जाने,

(46) श्री कमल पटेल, सदस्य की खण्डवा में नागरिक संसोधन विधेयक के विरोध में उपद्रवी तत्वों द्वारा प्रदेश की शांति भंग की जाने तथा

(47) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य की टेम नदी पर बन रहे बांध के निर्माण में तेजी लाने एवं उत्पन्न समस्याओं को दूर करने,

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) संबल योजना को पुन: प्रारम्भ करना एवं आंदोलनरत अतिथि विद्वानों/शिक्षकों को नियमित किया जाना

(क) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि - हमारी सरकार ने प्रदेश के गरीबों के लिए एक जनकल्याणकारी संबल योजना प्रारम्भ की थी जिसके अंतर्गत गरीब की मृत्यु पर उसके परिवार के आश्रित को 2 लाख रूपये, एक्सीडेन्ट से मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये, अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपये, प्रसूता महिलाओं के लिए 16 हजार रूपये एवं बिजली बिल आधा करने की योजना थी. परन्तु इस सरकार द्वारा संबल योजना बंद कर देने के कारण अनेक गरीब परिवार निराश्रित हो गये हैं, सरकार इस योजना को पुन: प्रारम्भ कर उसके हितग्राहियों को राशि प्रदान करे.

(ख) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने उल्लेख किया कि पिछले 15 दिनों से भोपाल में प्रदेश के महाविद्यालयों में जो अतिथि विद्वान पढ़ाने का कार्य करते थे वो नियमितीकरण की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में धरना, अनशन एवं भूख हड़ताल कर रहे हैं. लेकिन सरकार वचन पत्र में उल्लेख के बावजूद चयनित लोगों को भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है. इस पर सरकार तुरन्त ध्यान दे.

श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि हमने अपने वचन पत्र में अतिथि विद्वानों एवं अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने की बात कही है. इसके लिए प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है. तब तक पूर्ववत् शिक्षण कार्य करते रहेंगे. हम नये पद सृजित करने की कार्यवाही भी कर रहे हैं.

(2) प्रदेश में हुए तबादलों में भ्रष्टाचार होना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य ने उल्लेख किया कि प्रदेश में तबादला माफिया हावी है और उसके कहने पर एक वरिष्ठ अधिकारी का स्थानांतरण सिर्फ इस बात पर कर दिया कि उन्होंने ऐसे निर्देश दिये कि एम.पी. एग्रो पोषण आहार न बनाकर पोषण आहार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे. एक ईमानदार अधिकारी को प्रताड़ित किया गया जिसमें वे नौकरी छोड़कर प्रदेश से बाहर जा रहे हैं. छिन्दवाड़ा में एक सहायक भू-लेख अधिकारी ने इसलिए आत्म हत्या कर ली क्योंकि कलेक्टर के कहने पर अवैध नियुक्ति नहीं की.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि किसी अधिकारी विशेष की बात सदन में करना उचित नहीं है.

5. गर्भगृह में प्रवेश

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण प्रदेश में हुए तबादलों में भ्रष्टाचार संबंधी कथन करते हुए गर्भगृह में आए.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(2) डॉ.गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16, तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016),

पटल पर रखे.

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग की विभिन्न 71 अधिसूचनाएं पटल पर रखीं.

(4) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री ने -

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान अनूपपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17,

(ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान बालाघाट एवं जबलपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18, तथा

(ग) जिला खनिज प्रतिष्ठान झाबुआ, बालाघाट, अलीराजपुर, जबलपुर एवं सतना के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने निम्न अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-3-26-2019-तेरह, भोपाल, दिनांक 1 अगस्त, 2019, एवं

(ख) क्रमांक एफ-3-26-2019-तेरह, दिनांक 1 अगस्त, 2019,

पटल पर रखीं.

(6) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2016-17 पटल पर रखे.

(7) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने-

(क) (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण, एवं (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण, तथा

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17,

पटल पर रखीं.

7. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अतिथि विद्वान एवं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण न करने के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया एवं सदन से बहिर्गमन किया.

(गर्भगृह से व्यवधान एवं नारेबाजी के बीच कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर शेष कार्यवाही निरंतर जारी रही)

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 4 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार –

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले में कृषकों से खरीदे गये चने एवं मसूर का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री ने वक्तव्य दिया. चर्चा के दौरान आसंदी द्वारा शासन को आवश्यक निर्देश दिये गये.

(2) श्री कुणाल चौधरी, श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य ने भोपाल दुग्ध संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से मिलावटी दूध की बिक्री किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान से सीतापुर मार्ग का निर्माण न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सज्जन सिंह वर्मा, लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्री विनय सक्सेना, सदस्य ने एम.पी. ऑन लाईन को अवैध रूप से निजी कम्पनी को दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पी.सी. शर्मा, जनसम्पर्क मंत्री ने वक्तव्य दिया. चर्चा के दौरान आसंदी द्वारा शासन को आवश्यक निर्देश दिये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (5) से (24) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इंदौर में मोतियाबिंद के आपरेशन से मरीजों की आंखों की रोशनी जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री नारायण पटेल, सदस्य की जिला सहकारी बैंक खंडवा एवं मंदसौर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की जबलपुर के खितौला बाजार रेलवे स्टेशन से शराब की दुकान न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य.

(8) सर्वश्री उमाकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सुभाष राम चरित्र, सदस्य की प्रदेश में मिलावटी दूध का कारोबार किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री सुभाष राम चरित्र, सदस्य की सिंगरौली जिले में स्थापित सासर पावर प्लांट हेतु अधिग्रहित भूमि के बाद भी कृषकों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पंचायत मिसिरगंवा में कूप निर्माण किये बिना ही राशि का आहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य की ग्वालियर जिले में गेहूं उपार्जन केन्द्र बनाये जाने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(12) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में कृषकों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(13) डॉ. मोहन यादव, श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्य की उज्जैन की क्षिप्रा नदी में प्रदूषित जल मिलाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(14) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिले में स्वसहायता समूह द्वारा तेल के स्थान पर जानवर की चर्बी का उपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(15) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की सरदार सरोवर परियोजना के डूब प्रभावितों का पुनर्वास न किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नर्मदा घाटी विकास मंत्री का वक्तव्य.

(16) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की म.प्र.बीज निगम द्वारा कृषकों से खरीदे गये अनाज का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

(17) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा नगर का मलमूत्र, कचरा आदि नदी में छोड़े जाने से जल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(18) ठाकुर सुरेन्द्र नवल सिंह, सदस्य की बुरहानपुर स्थित नवलसिंह सहकारी सूत मिल को ऋण गारंटी न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(19) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की जबलपुर के मदन महल पहाड़ी क्षेत्र से हटाये गये परिवारों को मूलभूत सुविधा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(20) श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य की व्यापम घोटाले की एस.टी.एफ. जांच में विलंब होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(21) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की केवलारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न दिये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य.

(22) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले में आपराधिक घटनाएं घटित होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(23) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले के मवई के नक्शे में सुधार न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(24) श्री संजीव सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में खाद्यान्न परिवहनकर्ता एवं दोषी अधिकारी पर कार्यवाही न होने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित निम्न सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(2) श्री रामकिशोर कावरे (जिला-बालाघाट)
(3) श्री जुगुल किशोर बागरी (जिला-सतना)
(4) डॉ. योगेश पंडाग्रे (जिला-बैतूल)
(5) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(6) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
(7) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(9) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(10) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-दमोह)
(11) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(12) श्री ठाकुरदास नागवंशी (जिला-होशंगाबाद)
(13) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(14) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(15) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(16) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(17) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(18) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
(20) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(21) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(22) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(23) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(24) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(25) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
(26) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल शहर)
(27) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
(28) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(29) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(30) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(31) श्री रघुराज सिंह कंषाना (जिला-मुरैना)
(32) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(33) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(34) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(35) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(36) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(37) श्री सुभाष राम चरित्र (जिला-सिंगरौली)
(38) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(39) श्री कुणाल चौधरी (जिला-शाजापुर)

(40) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया (जिला-भिण्ड)
(41) श्री रामखेलावन पटेल (जिला-सतना)
(42) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
(43) श्री गिर्राज डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(44) श्री राकेश पाल सिंह (जिला-सिवनी)
(45) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
(46) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
(47) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(48) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(49) श्री गोवर्धन दांगी (जिला-राजगढ़)
(50) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
(51) श्रीमती राजश्री रुद्रप्रताप सिंह (जिला-विदिशा)
(52) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)

10. शासकीय वक्तव्य

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 25 जुलाई, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्रमांक 4018) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद-6 'शासकीय विधि विषयक कार्य' में उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है तथा उपपद (7, (8) तथा (9) में उल्लेखित विधेयकों को क्रमश: 30-30 मिनट एवं उप पद (10) में उल्लिखित विधेयक को 1 घण्टे का समय चर्चा हेतु आवंटित किया है.

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 38 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 35 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 40 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री तरुण भनोत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 41 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री पी.सी. शर्मा, अध्यात्म मंत्री ने मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक, 2019 (क्रमांक 42 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 38 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयवर्द्धन सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 38 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 35 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 13 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयवर्द्धन सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 35 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 40 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 26 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 40 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री तरुण भनोत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 41 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3, 4, तथा 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 41 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री पी.सी. शर्मा, अध्यात्म मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक, 2019 (क्रमांक 42 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 48 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री पी.सी. शर्मा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक, 2019 (क्रमांक 42 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. वर्ष 2003-2004 के आधिक्य व्यय की अनुदान मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 35, 68, 84 एवं 94 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को दो करोड़, छियालीस लाख, छियासठ हजार, छह सौ चवालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-8) विधेयक, 2019 (क्रमांक 34 सन् 2019) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-8) विधेयक, 2019 (क्रमांक 34 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –विधान सभा के वर्तमान दिसम्बर, 2019 सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं प्रस्ताव करता हूं "सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

16. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 1.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 दिसम्बर, 2019